राज भवन, भोपाल

RAJ BHAVAN, BHOPAL

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट (म.प्र.) के कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के लिए सूचना

वि.क्र. एफ-1-5/17/रा.स./यू.ए.1/ 761 दिनांक 19 जून, 2017

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट जिला सतना (म.प्र.), जो कि महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 (क्र. 09 सन् 1991) के अंतर्गत स्थापित है, के कुलपति की नियुक्ति उक्त अधिनियम की धारा 24(3) के तहत गठित समिति द्वारा अनुसंशित पैनल में से कुलाधिपतिजी के द्वारा की जाना प्रस्तावित है।

कुलपति का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की दिनांक से 04 वर्ष होगा ।

चूंकि कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यकारी एवं शैक्षणिक अधिकारी होता है, अतः उसका व्यक्तित्व परिपूर्ण होकर उसके द्वारा उच्च शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया गया होना चाहिए । उसे एक अच्छे शोधकर्ता के अतिरिक्त पर्याप्त प्रशासनिक अनुभव भी होना चाहिए । वह अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में भलीभांति मान्य होना चाहिए।

अभ्यर्थी को अपने बेदाग केरियर व असंदिग्ध निष्ठा के समर्थन में आवेदन पत्र के साथ स्वयं सत्यापित प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरुद्ध लोकायुक्त संगठन, आर्थिक अपराध ब्यूरो या अन्य किसी संस्थान में किसी भी स्तर पर कोई जांच अथवा आपराधिक प्रकरण संस्थित/प्रचलित/लंबित नहीं है।

वर्तमान में सेवारत होने की स्थिति में अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ अपने नियोक्ता/ कार्यालय प्रमुख का इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा कि उसके विरुद्ध कोई विभागीय जांच लंबित नहीं है।

यदि पूर्व वर्षों में उपरोक्तानुसार कोई जांच की गई है तो ऐसे जांच प्रकरणों का विवरण एवं निष्कर्ष का भी स्पष्ट उल्लेख अभ्यर्थी को स्व-सत्यापित प्रमाण पत्र में करना होगा ।

कुलपति पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थी उनका आवेदन तथा विस्तृत जीवनवृत्त (2 प्रतियों में) उपरोक्त विवरण व प्रमाण-पत्र के साथ राज भवन की बेबसाइट "www.rajbhavanmp.in" पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में प्रमुख सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, भोपाल - 462003 (म.प्र.) को दिनांक 25 जुलाई, 2017 तक पंजीकृत/स्पीड पोस्ट डाक से प्रस्तुत करें । लिफाफे पर स्पष्ट लिखा जावे कि ''महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट जिला सतना (म.प्र.) के कुलपति पद के लिये आवेदन'' ।

निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा । डाक में विलम्ब हेतु यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा ।

राज्यपाल के प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश

राज भवन, भोपाल
RAJ BHAVAN, BHOPAL

NOTICE INVITING APPICATIONS FOR APPOINTMENT OF VICE CHANCELLOR FOR MAHATMA GANDHI CHITRAKOOT GRAMODAYA VISHWAVIDYALAYA, CHITRAKOOT (M.P.)

Advt. No. F 1-5/17/G.S./U.A.1/ 761 Dated 19 June, 2017

It is proposed to appoint a Vice-Chancellor for the Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya, Chitrakoot (M.P.), established under the Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1991 (No. 09 of 1991), out of a panel to be recommended by a Committee, appointed in terms of section 24(3) of above mentioned Act.

The vice-chancellor shall hold office for a term of 04 years from the date on which he enters office.

As the Vice-Chancellor is the Principal Executive and Academic Officer of the University, he should be a well rounded personality and should have contributed significantly to the development of higher education. He apart from being a good researcher, must also possess adequate Administrative Experience. He should be well recognised in his field of expertise.

In support of his unblemished career and undoubted integrity, the applicant should file a self attested certificate to the effect that no enquiry is instituted/ commenced/pending in Lokayukt Sangathan, Economic Offence Bureau or any other organization against him at any level.

Along with the application, in case the applicant is in service, he should file a certificate of his employer/ head of the office to the effect that no departmental enquiry is pending against him.

In case of any enquiry conducted as above in earlier years, details of such cases and final conclusion of the enquiry shall have also to be clearly mentioned by the applicant in the self attested certificate.

The aspirant for the post of Vice-Chancellor may send his application, alongwith bio-data (in two copies) and certificate, in the prescribed format available on the website "www.rajbhavanmp.in" to the Principal Secretary, Governor Secretariat, Rajbhavan, Bhopal- 462003 (M.P.) on or before 25th July, 2017 by registered/Speed post. "Application for the post of Vice-Chancellor, Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya, Chitrakoot, Distt. Satna (M.P.)" should be super-scribed on the envelope.

Application received after the prescribed date shall not be considered. This office shall not be responsible for postal delay.

Principal Secretary to Governor
Madhya Pradesh